

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 सितम्बर 2021—भाद्र 11, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-15-2021-1-पांच (64).—आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 44 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2020-21 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान करते हैं.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त 2021 से प्रवृत्त समझी मानी जावेगी.

राघवेन्द्र कुमार सिंह, राज्य कर आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-15-2021-1-पांच (64).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2021-1-पांच (64), दिनांक 2 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd September 2021

No. F A 3-15-2021-1-V(64).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to Section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2020-21 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

2. This notification shall come into force from the 1st day of August 2021.

RAGHWENDRA KUMAR SINGH, Commissioner of State Tax.